

अवैध निर्माण पर कार्यवाही करते हुए निगम का बुलडोजर चला

भिलाईनगर/ आयुक्त एस.के. सुंदरानी द्वारा अवैध निर्माण करने वाले निर्माणकर्ता पर कार्यवाही करने के निर्देश जोन आयुक्तों को दिए गए हैं। फिर भी बाज नहीं आने वाले अवैध संचालन निर्माणकर्ता के विरुद्ध निगम भिलाई द्वारा लगातार कार्रवाई कर रही हैं। मामला जोन क्रमांक दो क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 16 कुरुद घासीदास तालाब के पास की है जहां पर अवैध रूप से कृष्णा डेयरी का संचालन डेयरी के मालिक हीरालाल यादव द्वारा किया जा रहा था जिसे निगम द्वारा आज हटा दिया गया!

बता दें कि निगम की भूमि पर कृष्णा डेयरी द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया था जहां पर एस.एल.आर.एम. सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित है जिसे निगम द्वारा आज खाली करा दिया गया है। कार्यवाही के दौरान तोड़फोड़ विभाग के हरचरण अरोरा, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी विनोद चंद्राकर सहित निगम के लोक कर्म विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनसम्पर्क अधिकारी

